तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
10.09.2020	कोविड–19 संक्रमण के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने से यह पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम [illegible] के पृथक–पृथक खातेदारान के पृथक–पृथक खसरों का ऐकीकरण कर उनका रेकर्ड में एक नम्बर कायम करने की अनुशंसा राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड के नियम 68 के अन्तर्गत की है, परन्तु इस नियम 68 में तो यह व्यवस्था दी है कि जब एक से अधिक खेत जो एक ही खाता या पट्टी के हो और एक ही काश्तकार के काश्तकारी कब्जे में हो तभी उन खेतों को सामिल यानि एकीकरण किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड के नियम 68 के अनुरूप नही होने से कार्रवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण इस निर्देश के साथ लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prashant Sharma
Date: 2020.09.18 10:41:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner